न्यायालय माननीय अध्यक्ष / सदस्य म0प्र0राजस्व मण्डल

ग्वालियर सर्किट केम्प भोपाल.

R-1994-PBR/14

निगरानी कमॉक– /2014

1– प्रताप सिंह आ0 श्री निरन्जन सिंह
2– जितेन्द्र सिंह आ0 श्री प्रताप सिंह
दोनों निवासीगण ग्राम कालापानी तहसील
हुजूर जिला भोपाल

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती सुधा गुप्ता पत्नि श्री आर.के.गुप्ता
निवासी–मान सरोवर कालोनी बी–72 शाहपुरा
भोपाल म0प्र0
2– सलीम खॉ आत्मज श्री हलीम खॉ
निवासी– ग्राम कालापानी तहसील
हुजूर जिला भोपाल

.... अनावेदकगण

श्री अनोज गुप्ता अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 24-6-14 केम्प भोपाल पर प्रस्तुत

24-6-14

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से विद्वान तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के द्वारा राजस्व अपील प्रकरण कमॉक–05/अ–70/12–13 में पारित आदेश दिनांक –31–01–2014 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है ।

—— 2 ——

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1994–पीबीआर/2014 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
10–7–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 31–1–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–1–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि प्रकरण पुर्नस्थापन करने के पूर्व उन्हें सुना नहीं गया है, क्योंकि जिस दिनांक 10–1–2014 को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है, उस दिनांक को आवेदकगण उपस्थित नहीं हुए थे, अतः प्रकरण पुर्नस्थापित करने में उन्हें सुना जाना आवश्यक नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	